# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 21/2021 बउनवानी शेलेन्द्र सिंहल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली निवासी 23,ए रणथम्भौर चोराहा, वात्सल्य हॉस्पिटल के पीछें,स0मा0

GCMS No-2021/55

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 22.6. 2021 | लोक डाउन के कारण पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 16.1.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— |

1. यह है कि ग्राम बडागांव सरवर मे नया खाता संख्या 72 पुराना खाता संख्या 70 मे खातेदार घनश्याम पुत्र प्रभूदयाल महाजन हिस्सा 1/2 एवं शिवराज पुत्र प्रभूदयाल महाजन हिस्सा 1/2 निवासी बौंली की कृषि भूमि उपलब्ध है।
2. उक्त भूमि मे से निर्माणाधीन एनएच 148 एन के लिए आंशिक क्षेत्रफल अधिग्रहित कर वरवक्त मुआवजा भुगतान पत्रावली तहसीलदार बौंली द्वारा कब्जा प्राप्त कर खातेदारान के नाम अवार्ड जारी कर मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। उक्त संबंध मे निम्नांकित सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

(1). ग्राम बडागांव सरवर तह0 बौंली मे उक्त खाता के अन्तर्गत घनश्याम पुत्र प्रभूदयाल हि0 1/2 नि0 बौंली के खाते में किस किस ख0न0 की कितनी कितनी भूमि किस्मवार अंकित है।

(2) उक्त ख0न0 मे से एनएच 148 एन मे कितनी कितनी भूमी किस किस ख0न0 की अवाप्त की गयी है जिसका कि तहसीलदार बौंली द्वारा वरवक्त भुगतान मुआवजा पत्रावली कब्जा प्राप्त किया गया हैं।

(3). उक्त एनएच 148 मे अधिग्रहण के उपरान्त एवं तहसीलदार बौंली के कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त उक्त खातेदारान के खाते मे किस किस ख0न0 का कितना कितना क्षेत्रफल मय किस्म शेष रहा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.1.2021 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार बौंली के पत्रांक राजस्व/21/533 दिनांक 15.4.2021 से अपीलान्ट उपलब्ध करवायी गयी चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को प्रेषित सूचना पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रेषित की गयी जो दिनांक 16.6.2021 को न्यायालय को प्राप्त हुई है जिसमे अपीलान्ट द्वारा अवगत कराया कि तहसीलदार द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये ही तथ्यहीन सूचना दी गयी है।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.01.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना तहसीलदार बौंली के पत्रांक राजस्व/21/533 दिनांक 15.4.2021 से उपलब्ध करवाया जाना बताया गया है परन्तु तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी गयी सूचना का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि तहसी[illegible] बिन्दुवार सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है एवं अपीलान्ट द्वारा की गयी आप[illegible] उचि[illegible] प्रतीत होती है। अतः तहसीलदार बौंली को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] 2 के उपबिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की बिन्दुवार सूचना 15 दिवस मे उपलब्ध करवाया [illegible]। उक्त निर्देश के सा[illegible] अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible]कर नम्बर से कम हो [illegible] तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested